**वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-24/2015/भा0स0 105/52-3-15-बजट(16)/2015**

प्रेषक,

मो0 शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□-3, □□□□□ दिनांक 06 नवम्बर, 2015

विषयः- केन्द्र पु□□□□□□□□ □□□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भ□□□ □□□□ द्वारा स्वीकृत □□□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□□ में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□ □□□□ विकास मंत्रालय □□□□ □□□□□ □□ पत्र □0 □0-□□-8-3/2015 □□ 19, दिनांक 7.9.2015 □□ संदर्भ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ कि □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 1891 मदरसों में कार्यरत □ □□□□ विषयों के शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□□□□ □□ □□ प्रथम किश्त हेतु□□□□ □□□□ विकास मंत्रालय द्वारा □□ □□□□□ □□सापेक्ष निम्नांकित ताि□□ □□स्तम्भ-6 □□अनुरूप □□□□□ समायोजित □□□□□□ उपरान्त स्तम्भ-7 □□ अनुरूप □□□ रू0 12,51,42,000/- की □□□□□ अवमुक्त की □□□ □□।

| क्र0 □0 | □□□□□□ □0 □ दिनांक | □□□ □0 | मदरसों की □0 जिनके □□ □□□□□ स्वीकृत की □□□ | वर्ष जिसके □□ □□□□□ स्वीकृत की □□□ | प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत □□□□□ | समायोजित की □□□ □□□□□ | अवमुक्त □□□□□ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | □□-8-3/2015 □□ 19, दिनांक 7.9.2015 | 1891 | 1813 | 2014-15 | 19,02,96,000 | 06,51,54,000 | 12,51,42,000 |

http://shasanadesh.up.nic.in

2. □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 में □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश □□रूप में रू0 02,44,71,24,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष □□□वित्तीय वर्ष में रू0 62,04,24,000/- की □□□□□ अवमुक्त की □□ चुकी □□ □□□ रू0 01,82,67,00,000/- की □□□□□ □□□□ □□ उक्त □□□□ □□□□□ □□ सापेक्ष □□□ □□□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□ द्वारा उपरोक्त □□□□□□ द्वारा अवमुक्त की □□□ □□□□□ रू0 12,51,42,000/- (रू0 □□□ □□□ इक्यावन □□ □□□□ □□□ मात्र) निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों □□ □□□ अवमुक्त □□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0, □□□□ □□ निर्वतन पर □□□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□ सहर्ष □□□□ प्रदान □□□□ □□

(1) राज्य □□□□ द्वारा □□□□□□ □□ □□/□□□□ दिये □□□□□□□□□□ शिक्षकों □□ विवरण विभागीय □□□□□ □□ दिनांक 31.12.2015 □□ उपलब्ध □□□□ □□□ सुनिश्चित किया □□, ताकि □□□ □□□□ □□प्राप्त □□□□ □□□□□□/□□ □□ में □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□पारदर्शिता □□ □□□

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ व्यय/□□□□ □□ □□□ में □□□ □□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों □□□□□-□□□ □□ □□□ □□□□ □□□राज्य □□□□ द्वारा निर्गत □□□□ शासनादेशों □□अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□□□किया □□□□

(3) उक्त स्वीकृति □□ शर्त □□□□□□ □□कि मदरसों □□अस्तित्व के सं□□ में पूरी □□□ □□आश्वस्त □□□□□□□□□ विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) □□ शिक्षण कार्य □□□□□□□शिक्षकों □□ अध्यापन की पुष्टि हो□□□□ पश्चात ही □□□□□ □□□□ की □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ कि लाभान्वित □□□□ □□□ □□□□ द्वारा □□□□ आधुनिकीकरण योजनाव्तगत निर्गत ग□□□ □□□ की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण □□□ □□ यदि किसी मदरसें में □□□□□ □□□□ किया □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/□□□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□पूर्णतया उत्तरदायी होंगे □□ □□□□□ रूप □□□□□□ की □□ □□□□ की □□□ □□□□□□□ □□□सुनिश्चित की □□□□

(4) □□□□ □□अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का □□ व्यक्तिगत दायित्व ह□□ कि □स्वीकृत □□□□□ □□ दिशा-निर्देशो के□□□□ □□□□ सुनिश्चित करेगें। किसी □□ □□ में अस्तित्वहीन □□□□□□□ अस्तित्वहीन शिक्षक □□ □□□□□ वितरित □ □ए वितरण □□ सुनिश्चित किया □□□□ □□ वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों

http://shasanadesh.up.nic.in

में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कर□□ □□ हों। वितरण पारदर्शी तरीके □□□□□ □□ व्यय □ पूर्ण □□-□□ □ □□□□□ सुरक्षित □□□□ □ दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का □□□ प्रश्नगत □□□□ की □□□□□ □ □□□□ प्रमाण पत्र अविलम्ब शा□□ □ पे्रषित किया □□□□ए □ □□□□□ व्यय नही □ □□□ उसकी जानकारी विवरण सहित □□□ □ उपलब्ध □□□□ □□□□

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□ विषयों के शिक्षकों को प्रश्नगत □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ पूर्व □□ सुनिश्चित □□ □□□ □□□□ कि पूर्व में □□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□ शिक्षक □□ नही किया □□ □□

(6) उक्त स्वीकृत □□□□ □□ सापेक्ष □□□ योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के □□□□ □ ही □□□□ किया □□□□ किसी □ □□ में □□ □□□□ किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की □□□□

(7) □□ □□□□ □□शिक्षकों को □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ किया □□□ जिस □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ द्वारा स्वीकृत की □□ □□

(8) स्वीकृत □□□□ □ □□□□□□ प्रमाण पत्र □□ □□ □□अन्दर □□□ □ उपलब्ध □□□ □□□□

3- उक्त □□ □□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक □□ □□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयं□□□□/केन्द्र द्वारा □□□□□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अ□□ □□□□ मदरसों □ आधुनिकीकरण (□0 100/□0-□0)- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□/□□□) □□□□□□□□ □□□□

4- □□□ □□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-2457/□□-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के□□□□ निर्गत किये □ □□□□

भवदीय,

(□0 □□□□ □□□)
विशेष □□□

<u>संख्या-भा0स0 105/52-3-15 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ □□आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त □□□□(□□0□□0) □□□ □□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□ साक्षरता विभाग) □□□ □□□□ शास्त्री □□□ □□ दिल्ली।

2- □□□□□□□ (□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

3- □□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठ □□□ थार्न हिल □□□ □□□□□□□

5- कोषाधिकारी उ□□□□ □□□ □□□□/वित्त □□□लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□ □0प्र0 □□□□□

6- □□□□ माध्यमिक शिक्षा □□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□

7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी □0प्र0 □□□□ □

9- रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□ □□□□ □

10- वित्त (□-11) □□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/ □□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□□

11- कम्प्यूटर □ □□□□ अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□

12- गार्ड □□□

आज्ञा □,

(□□□ मुहीउद्दीन)
□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in